केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00115

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00383/1

अपीलकर्ता श्री संजीव कुमार

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.09.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	17.09.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.09.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. के. चितकारा, CPIO (DR to CIC) श्री एस.अनंथारामन, CPIO (DR to IC VT), कर्नल एस.एस. चिकारा, CPIO (DR to IC AR) & श्रीमती सुमन बाला CPIO, (DR to CR I)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.09.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.10.2024
निर्णय की तारीख	19.11.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.09.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) (a) आवेदक आज तक केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील के लिए जितने भी अपील किये है उनकी कुल संख्या बताए।

(b) आवेदक द्वारा आज तक किये गए सभी द्वितीय अपील का फाइल नं की पूर्ण जानकारी दे।

c) आवेदक आज तक कुल जितने द्वितीय अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा सुनवाई की गई। उनकी कुल संख्या बताये।

(d) आवेदक के द्वितीय अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग के सुनवाई के बाद केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर हुई कार्यवाई की प्रमाणित जानकारी दे।

File no – CIC/ERAIL/A/2022/149244 – UM

File no – CIC/ERAIL/A/2023/129694 - UM

(e) केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पालन करने का समयावधि ख़त्म होने पर CPIO के द्वारा आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर CPIO के विरुद्ध की गई करवाई का प्रमाणित जानकारी दे।

(f) आवेदक के जितनी द्वितीय अपील पर आयोग के सुनवाई के बाद CPIO द्वारा सही सही एवं पूर्ण जानकारी दिलायी गई उन सभी का पूर्ण विवरण सहित जानकारी दे।

(2.) आवेदक के द्वारा हिंदी में द्वितीय अपील करने के बावजूद जिस नियम एक तहत आयोग के द्वारा आदेश की कॉपी आवेदक को हिंदी में नहीं दी जाती है। उस नियम की प्रमाणित जानकारी दे।

(a) 8 (j) के अनुसार यदि सूचना अधिकारी सूचना ना देना चाहे तो एक शपथ -पत्र पर लिखकर दे कि मांगी गई सूचना किसी भी स्थिति में भारतीय संसद या राज्यों की विधान सभाओ को भी नहीं देंगे।

(b) एक्ट की धारा 7 (3) बी के अनुसार मेरे इस आवेदक के उत्तर में मुझे प्रथम अपील की समय और प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारे में जानकारी देने का भी कृपा करें।

2. प्रदान की गई सूचना

कर्नल एस.एस. चिकारा, श्री एस.अनंथारामन, श्री एस. के. चितकारा तथा श्रीमती सुमन बाला केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा पत्र दिनांकित 19.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024 तथा 30.09.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Point No. 1 (a) & (b) – For requisite information, you may please visit the following web link - https://dsscic.nic.in/appeal-comp-status-dak-file/filelistreport1/?filecategory=&searchtype=application&searchtext=Sanjeev+Kumar &from date=&todate=page lenth=10&search button=

Point 1(d) – w.r.t. no. CICERAIL/A/2022/149244 a complaint dated 20.11.2023 of non – compliance has been received. No action has been taken on this complaint. However, action on your complaint will be initiated.

w.r.t. file No. CIC/ERAIL/A/2023/129694 No action is warranted as no Non – compliance petition has so far been received from you.

Point 1 (e) – No action is initiated.

Points (c & f) – In the absence of Dy. No./case file No. in the RTI application, details of second appeals/complaints of Shri Sanjeev Kumar could be tracked in the Appscom. However, catchword "SANJIEV" part of his name Sanjiev Kumar has been resorted to search the second appeals/complaints. As per the search, no records are/were

available. As such, Shri Sanjiev Kumar may be advised to share details of Dy. No. /case file no. of each second appeal/complaint sent to the Commission.

Point 2 – No circular/order/instruction of CIC regarding the language to be used by the IC's in their order/decision, is available.

Point 2 (1) – No such information is available.

Point 2 (2) – Not applicable.

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलकर्ता को केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी अधूरी है। अतः पूर्ण जानकारी दिलाने की कृपा करें

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00383/1 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 19.11.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 NOV 2024
D. No.....
Initials.....